


राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.11(39)गृह-12/कारा/2001पार्ट

जयपुर, दिनांक : 30 NOV 2015

:: आदेश ::


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2015 के द्वारा झालावाड़ जिले में स्थित कारागृहों के लिए मनोनीत गैर सरकारी दर्शकों के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट-23 के नियम 4 के प्रावधानान्तर्गत झालावाड़ जिले में स्थित कारागृहों के लिए मनोनीत गैर सरकारी दर्शकों के मनोनयन के आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।


(कै.के.शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा. कारागार मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. महानिदेशक कारागार, राज0, जयपुर ।
3. सम्भागीय आयुक्त, कोटा ।
4. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति दिनांक 23.10.15 द्वारा मनोनीत गैर सरकारी दर्शकगण को उपलब्ध कराने का श्रम करें तथा आपके जिले में स्थित कारागृहों के लिए गैर सरकारी दर्शकों के मनोनयन नये सिरे से किये जाने हेतु प्रस्ताव अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, झालावाड़।
6. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव